

प्रारंभ:-

सहायक शिक्षा निदेशक/शैक्षिक
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,

शिल्पर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,

शमली, मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक:- मान्यता/ 233-240 /2000-2001 दिनांक:- 31-10-2000

विषय:- अक्षांशिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्या 6 से 8 तक अत्याधिक मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनानुसार संख्या 646/15-6-97-18 एतद्वारा 7/89 दिनांक 13.8.97 में दिये गये आधिकारिक के अन्तर्गत मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 31-10-2000 में लिये गये निष्पत्तानुसार आपके विद्यालय की क्या 6 से 8 तक की अत्याधिक मान्यता शैक्षिक सत्र 2000-2001 से प्रदान की जाती है। प्रत्येक क्या हेतु एक बर्ग की अनुमति का प्रदान की जाती है ।

शासनानुसार में विहित मानकों अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षक/अध्यापक कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे ।

प्रधानाध्यापक	- एक
सहायक अध्यापक	- चार
लिपिक	- एक
व्यर्थ श्रेणी कर्मचारी	- एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/डाब्लू अध्यापक जाने जायेंगे। अक्षांशिक/विभागीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण एक अधिकारी उपाय, शैक्षिक शिक्षा परिषद को होगा ।

भवदीय

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक/शैक्षिक
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।

पृष्ठानक संख्या :- मान्यता/

/2000-2001 उक्त तिथि को

प्रतिनिधि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उपर शिक्षा निदेशक/शैक्षिक उपाय, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।

2- सचिव, उपाय, शैक्षिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।

3- जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी, - मुजफ्फरनगर - - - -

4- जिला अधिकारी, काशी जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी - मुजफ्फरनगर - - - -

5- जिला सहायक शिक्षा अधिकारी - मुजफ्फरनगर - - - -

6- उप शैक्षिक शिक्षा अधिकारी - मुजफ्फरनगर - - - -

7- सहायक शैक्षिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा जे - - - - -

8- नगर शिक्षा अधिकारी नगर जे - मान्यता - - - - -

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक/शैक्षिक
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।



Secretary
Citizens' Welfare Society
Shamli